## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1713–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–7–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त दीवानगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 33/अ–12/2013–14.

---

नासीर अली आत्मज नौसे अली
निवासी मकान नं. 9 ईदगाह हिल्स भोपाल . .....आवेदक

**विरूद्ध**

तीरथ बाई पुत्री श्रीराम ठाकुर
निवासी ग्राम अम्बाड़ी
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदिका

---

श्री विजेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक एवं
श्री एम.ए. खान, अभिषक, आवेदक
श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदिका

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 31/3/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त दीवानगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम अम्बाड़ी स्थित सर्वे कमांक 51 एवं 73 रकबा कमशः 0.490 हैक्टेयर एवं 3.573 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–12/2013–14 दर्ज कर दिनांक 5–7–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी

आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19–6–15 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 28–1–2016 को समय–सीमा के बिन्दु सहित प्रकरण में उभय पक्षो की अंतिम तर्क श्रवण किये गये ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई है । जब दिनांक 11–6–2015 को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में आवेदक उपस्थित हुआ, तब उसे आदेश की जानकारी हुई, अतः उसके द्वारा तत्काल सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25–6–2014 को सीमांकन किये जाने की सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उस दिनांक को कोई सीमांकन नहीं हुआ है, और सीमांकन दिनांक 27–6–2014 को होना बतलाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 5 व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें कमांक 1, 2 एवं 3 पर सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, और उनके पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही हुई है। तर्क में यह भी कहा गया कि इसी भूमि से संबंधित अन्य सीमांकन प्रकरण में सीमांकन हेतु 27–7–2014 की तारीख दी जाकर दोनों प्रकरण एकसाथ संलग्न थे, परन्तु बाद में राजस्व निरीक्षक द्वारा इस प्रकरण को पृथक कर दिनांक 27–6–2014 को सीमांकन कर दिया गया है, जो कि अवैध कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचों के कहने पर अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा माना है, जबकि अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का कोई अवैध कब्जा नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि 1 एकड़ भूमि पर आवेदक का लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है, और अनावेदिका को पता न चले, यह कतई विश्वसनीय नहीं है ।

4/ अनावेदिका कमांक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25–6–2014 को आवेदक सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित हुआ है, अतः उसे सीमांकन आदेश दिनांक 5–7–2014 की जानकारी थी, इसके बावजूद भी उनके द्वारा इस न्यायालय में अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है है कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा कय की गई हो । तर्क में यह भी कहा गया कि

दिनांक 25–6–2014 को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 27–6–2014 को सीमांकन की कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उसकी भूमि के सीमांकन किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12–6–2014 को आवेदक सहित अन्य चार लोगों को दिनांक 25–6–2014 को सीमांकन किये जाने बावत सूचना पत्र जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त सूचना पत्र की तामीली आवेदक सहित शाह बानो व गजला अली पर नहीं हुई है, क्योंकि तामीली स्वरूप सूचना पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । इसके अतिरिक्त सूचना पत्र से यह भी स्पष्ट नहीं है कि सूचना पत्र की तामीली किसके द्वारा कराई गई है, अतः ठहराया जाता है कि सीमांकन की सूचना आवेदक को नहीं थी, इसलिए उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में निगरानी प्रस्तुत की गई है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिसंगत नहीं होने से सीमांकन आदेश निरस्ती योग्य है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25–6–2014 को सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन नहीं किया जाकर दिनांक 27–6–2014 को सीमांकन किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यद्यपि पंचनामा में राजस्व निरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया है कि सीमावर्ती कृषक नासिर अली सीमांकन कार्यवाही के मध्य में ही चला गया, परन्तु मात्र पंचनामा में उपस्थिति का उल्लेख करने से यह नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रथमतः सूचना पत्र की तामीली आवेदक पर नहीं हुई, द्वितीय जिस दिनांक 25–6–2014 को सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है, उस दिनांक को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नहीं कर दो दिन बाद दिनांक 27–6–2014 को सीमांकन किया गया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त दीवानगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–7–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जाकर उनके समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर